अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी-11 /2014

रिज़वान अहमद,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःफरवरी/5,2014

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि नदियों में लावारिश शवों, अपूर्ण जले शवों, जले-अधजले शवों के समुचित निस्तारण तथा जलीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-5570(एमबी)/2011-प्रभाकर वर्धन चौधरी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-09-06-2011 एवं 20-11-2013 के कम में नदियों एवं प्राकृतिक जल श्रोतों में मृत शवों का निर्गमन को प्रतिबंधित किया गया है।

2. **अतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंः-**

- नियमानुसार शवों का समुचित पोस्टमार्टम कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा पी0आर0 के प्रस्तर-135(ए) के अनुसार मेडिकल कालेज को दिये गये शवों का विवरण रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।
- नाविकों/गोताखोरों की 2014 तक की थानावार अद्यतन सूची तैयार कराकर जनपद में रखी जाय व शासन को अवगत कराया जाय।
- जिला कण्ट्रोल रूम पर प्राप्त लावारिश/अधजले/शवों (मनुष्य/अन्य) की सूचना पर नियमानुसार त्वरितः कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। मनुष्येतर शवों के निस्तारण में यथा परिस्थिति ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/जिला पंचायत का सहयोग यदि आवश्यक हो तो उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया जाय।
- लावारिश/अधजले शवों के संबंध में संबंधित थाने में गस्ती दल/चौकीदारों को विशेष निगरानी रखे जाने हेतु निर्देशित कर दिया जाय।
- इस प्रकार के प्रकरणों में संबंधित थाना/बीट इंचार्ज/चौकीदार सदैव सतर्क रहें। इस संबंध में कोई शिथिलता/लापरवाही न बरती जाय। इस संबंध में कमी पाये जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष जिम्मेदार होगें।

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे आम जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सभाव्य हो तथा लोक जल श्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना दण्डनीय अपराध है। इस सम्बन्ध में भारतीय दंण्ड संहिता 1860 की धारा 269 एवं धारा-277 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी हैः-

269-Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life- Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be, likely to be, likely to spread the infection of any disease dangerous to life. shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with or with both.

अर्थात

269-उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना सम्भाव्य हो- जो कोई विधिविरूद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा, जिससे कि और जिससे वह जनता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिये संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलाना सम्भाव्य है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

277-Fouling water of public spring or reservoir-Whoever voluntarily corrupts of fouls the water of any public spring or resevoir so as to render it less fit the purpose for which it is ordinarily used shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three monts or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

अर्थात

277-लोक जल-श्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना- जो कोई लोक जल-श्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिये जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोगी हो जाये, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

4. **उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**

भवदीय,

15/4/14

(रिज़वान अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।